प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5898/ 2007

याचिकाकर्तागण - शेख ज़ब्बार कुरैशी व अन्य

बनाम

उत्तरदातागण - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

और

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6570/ 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेशों के उद्घोषणा हेतु दिनांक 25 फरवरी, 2011 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5898/ 2007

याचिकाकर्तागण - शेख ज़ब्बार कुरैशी व अन्य

बनाम

उत्तरदातागण - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

और

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6570/2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण - संतलाल साहू व अन्य

बनाम

उत्तरदातागण - छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ - माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित: श्री अनूप मजूमदार, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री सुशील दुबे, राज्य के शासकीय अधिवक्ता।

(दिनांक 25 फरवरी, 2011 को पारित)

1. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5898, 6570/2007 में एक ही प्रश्न और समान तथ्य व विधि के प्रश्न सम्मिलित हैं, और इस प्रकार, इन्हें इस समान आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

2. इन याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्तागण अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में पारित दिनांक 24-04-2006 के आदेश (संलग्नक पी/5) की वैधानिकता एवं विधिमान्यता को चुनौती देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा पारित दिनांक 23-08-2007 के आदेश (संलग्नक पी/6) को भी चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में, तथ्यों के अनुसार, जैसा कि याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्तागण शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और उन्होंने 17-3-1999 से पूर्व 24 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है। तत्कालीन, मध्य प्रदेश शासन ने उन कर्मचारियों को प्रथम क्रमोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया था, जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, और सेवा के 24 वर्ष पूरे होने पर द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया और इस संबंध में 17-3-1999/19-4-1999 को एक आदेश पारित किया।

4. उक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्तागण को, जिन्होंने 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, दिनांक 17-10-2000 के आदेश (संलग्नक-पी/2) द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया गया, और तब से याचिकाकर्तागण उक्त लाभ प्राप्त करते रहे। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात्, याचिकाकर्तागण की सेवाएँ छत्तीसगढ़ के नए राज्य को आवंटित कर दी गईं। तत्पश्चात् भी, याचिकाकर्तागण छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त लाभ प्राप्त करते रहे।

5. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 20-5-2002 के आदेश (संलग्नक-पी/3) द्वारा, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्मित क्रमोन्नति योजना को अंगीकृत किया। यहाँ तक कि दिनांक 28-7-2004 के आदेश (संलग्नक-पी/4) द्वारा भी, छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी विभागों को क्रमोन्नति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। हालाँकि, अचानक दिनांक 24-4-2006 (अनुलग्नक - पी/5) के आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ने सहायक शिक्षकों, शिक्षकों और व्याख्याताओं के वेतनमानों को स्पष्ट किया और आगे यह कहा कि क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 1-8-2003 से लागू और देय होगा। दिनांक 24-4-2006 के आदेश के अनुपालन में, जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगाँव द्वारा दिनांक 23-8-2007 को पारित आदेश (संलग्नक-पी/6) द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ दिनांक 17-3-1999 से रद्द कर दिया गया और इसे दिनांक 1-8-2003 से लागू करने का निर्देश दिया गया। उपर्युक्त आक्षेपित आदेशों के कारण, याचिकाकर्ताओं के वेतनमान का पुन:निर्धारण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 1-8-2003 से किया गया है और अनावेदक प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं से दिनांक 17-3-1999 से 1-8-2003 की अवधि के बीच किए गए अतिशेष भुगतान की वसूली कर रहे हैं। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मजूमदार निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाने और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया गया द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है। आक्षेपित आदेश मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संक्षेप में "अधिनियम, 2000") के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किए गए हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना पारित किए गए हैं। आक्षेपित आदेशों को पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य ने याचिकाकर्ताओं को उनके विधिक हक़ से वंचित कर दिया है। वैसे भी, आक्षेपित आदेशों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री दुबे निवेदन करते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17-10-2000 को पारित आदेश (संलग्नक-पी/2) राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकार के बिना और नियमों के विरुद्ध था। इस प्रकार, उक्त आदेश अकृत था और याचिकाकर्ता दिनांक 17-10-2000 के आदेश के अनुसरण में द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। वास्तव में, वर्ष 2006 में पहली बार, राज्य शासन ने शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश पारित किया।

8. श्री दुबे आगे निवेदन करते हैं कि दिनांक 24-4-2006 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्तागण दिनांक 1-8-2003 से वेतन पुनरीक्षण के

हकदार हैं। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, दिनांक 17-10-2000 के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं को किया गया अधिक भुगतान याचिकाकर्ताओं से वसूलने योग्य है।

9. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिवचनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया है।

10. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्तागण को 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगाँव द्वारा पारित दिनांक 17-10-2000 के आदेश द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया गया था। याचिकाकर्तागण ने द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त करना जारी रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दिनांक 28-7-2004 के ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिनांक 19-4-1999 के परिपत्र में 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद प्रथम क्रमोन्नति और 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान करने की योजना है, यदि कोई पदोन्नति नहीं दी गई हो। यह शिक्षाकर्मियों के मामले में भी लागू किया गया था, जैसा कि परिपत्र के विषय से स्पष्ट है।

12. याचिकाकर्तागण ने द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ का उपभोग करना जारी रखा, जब तक कि राज्य सरकार ने दिनांक 24-4-2006 के ज्ञापन द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 1-8-2003 से प्रदान करने का निर्देश

नहीं दिया। ज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें पहले लाभ प्रदान नहीं किया गया था या उन व्यक्तियों को भी, जिन्हें दिनांक 17-3-1999/19-4-1999 के परिपत्र के अनुसरण में पहले ही लाभ प्रदान किया जा चुका था।

13. तदनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगाँव द्वारा दिनांक 23-8-2007 को आदेश पारित किया गया, जिसमें क्रमोन्नति प्रदान करने की नई तिथि दिनांक 1-8-2003 निर्धारित की गई। याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, भुगतान की वसूली का निर्देश भी दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भले ही ऐसा हो, एक बार जब याचिकाकर्ता लाभ के लिए हकदार माने गए और तदनुसार उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया गया, तो दिनांक 24-4-2006 और 23-8-2007 के पूर्वोक्त ज्ञापनों द्वारा इस आधार पर इसे वापस नहीं लिया जा सकता है कि द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान करना नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं था। अनावेदकों ने इस दावे के समर्थन में कोई नियम, विनियम या कार्यकारी निर्देश प्रस्तुत नहीं किए हैं कि शिक्षकों के संबंध में द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ प्रदान करने पर कोई रोक थी।

15. **उच्चतम न्यायालय ने *संगम स्पिनर्स बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त I*[1] में स्पष्ट रूप से माना है कि साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा**

[1] **(2008)1 SCC 391**

6(ग) के संदर्भ में, जब तक कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, तब तक निरसन से अर्जित, उपार्जित या निरसित अधिनियमित के तहत उत्पन्न किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. उपर्युक्त सिद्धांत ज्ञापनों और अनुदेशों के मामले में भी लागू होगा, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधारण खंड अधिनियम के तहत व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा को ज्ञापनों और अनुदेशों द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है। तथापि, दिनांक 17-10-2000 से दिनांक 23-8-2007 तक याचिकाकर्तागण द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ लिए जाने के पश्चात्, इसके प्रदान किए जाने की तिथि को पुन:निर्धारित करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। उस आधार पर भी, अनावेदक प्राधिकारियों की संपूर्ण कार्रवाई दोषपूर्ण और दूषित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस न्यायालय ने **लक्ष्मण प्रसाद जांगड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**[2] के मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"9) इस न्यायालय ने महेंद्र बुडेक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3106/2008) के मामले में सम्मिलित समान मुद्दे का निर्णय करते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, यथा: केशवन माधव मेनन बनाम बंबई राज्य, जयंतीलाल अमृतलाल बनाम

---

2 **2009(1) CGLJ 26**

भारत संघ, जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकी नाथ खोसा व अन्य, गोविंद दास व अन्य बनाम आयकर अधिकारी व अन्य, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड व अन्य बनाम सी.आर. रंगधमैया व अन्य, श्याम सुंदर व अन्य बनाम राम कुमार व अन्य, एस.एल. श्रीनिवासा जूट ट्विन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य एवं संगम स्पिनर्स बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (1) पर निर्भर रहते हुए, निम्नलिखित अवलोकन किया:

...~~अपील के लंबित~~ रहने के दौरान हुई बाद की घटना या विधि में परिवर्तन पर अपीलीय स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है, भले ही संशोधन के कारण विधि अब वैध न रही हो।

..जब तक विपरीत आशय न दर्शाया जाए, प्रावधानों की प्रयोज्यता भविष्यलक्षी होगी। मामले के तथ्यों में, संशोधन अधिनियम, 2008 में ऐसा कोई आशय व्यक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार, पहले अर्जित की गई अयोग्यता को बाद के संशोधन अर्थात् संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा दूर या वैध नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. लक्ष्मण प्रसाद जांगड़े (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका, एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 28398/2008 (***रूपेश कुमार यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य***), को उच्चतम न्यायालय द्वारा 11-1-2010 को ख़ारिज कर दिया गया था।

19. वर्तमान मामलों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पूर्ण बल के साथ लागू होते हैं, क्योंकि आक्षेपित आदेश सिविल परिणामों को प्रभावित करता है और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता है।

20. इस न्यायालय ने **कु. पूनम व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**[3] के मामले में, जहाँ एक समान मुद्दा विचार के लिए आया था, निम्नलिखित अवलोकन किया:

"20. यह सुस्थापित है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य केवल न्याय करना नहीं है, बल्कि न्याय की हानि को रोकना है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक आदेश पर लागू होते हैं, यदि ऐसा आदेश किसी नागरिक के अधिकार को प्रभावित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xxx xxx xxx

विधि के सुस्थापित सिद्धांत को मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, एक सामान्य सूत्र यह है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत एक अनियंत्रित घोड़ा नहीं है।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन, उसमें प्राप्त तथ्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक है। इस प्रकार, उन मामलों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, जहाँ तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। दूसरी बात, यह कि बड़े पैमाने पर की गई

---

3 **(2008) 2 CGLJ 366**

अनियमितता के कारण चयन को रद्द करने, या सामूहिक रूप से रद्द करने की स्थिति में, सुनवाई का अवसर प्रदान करना व्यावहारिक रूप से असंभव या अत्यधिक असंभव है। तीसरी बात, सुनवाई का अवसर प्रदान करने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।"

21. तत्पश्चात्, इस न्यायालय द्वारा कु. पूनम (पूर्वोक्त) में स्थापित अनुपात को **मृत्युंजय शुक्ला व अन्य बनाम नगर पालिक निगम रायपुर व अन्य**[4] में अनुमोदित रूप से संदर्भित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तागण को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया गया था और वे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी नियमित रूप से उक्त लाभ प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं।

23. **त्रिपुरा राज्य व अन्य बनाम के.के. रॉय**[5] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने क्रमोन्नति प्रदान करने के महत्व पर बल दिया है कि भले ही पदोन्नति के अवसर मौजूद हों और कोई कर्मचारी 12 वर्ष की अवधि के भीतर पदोन्नत नहीं हो सका हो, वह एक उच्च वेतनमान (क्रमोन्नति) का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, और यदि 24 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद आगे कोई पदोन्नति नहीं दी जाती है, तो कर्मचारी द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। क्रमोन्नति प्रदान करने का उद्देश्य प्रशंसनीय है,

---

4 **(2009) 1 CGLJ 97**

5 **(2004) 9 SCC 65**

यह देखते हुए कि कर्मचारी को 12/24 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति के अवसरों का कोई लाभ नहीं मिला है।

24. उपर्युक्त कारणों से, जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगाँव द्वारा याचिकाकर्ताओं के संबंध में पारित दिनांक 23-8-2007 का आक्षेपित आदेश और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई बाद की वसूली कार्यवाही एतद्द्वारा रद्द की जाती है। तदनुसार, दोनों रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

25. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

TRANSLATED BY RITU SARNA GANDHI